

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम कोलायत

भंवरलाल






बनाम

धनाराम आदि

किस्म मुकदमा :- दावा

नं. 16 सन् 2021

अन्तर्गत धारा :- राजस्थान कारतकारी अधिनियम अन्तर्गत धारा 53, 88

तारीख हुक्म	हुक्म की कार्यवाही मय इनिवियलसजज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए
17-06-2021	<p>आज यह दावा श्री हंसराज डेलू एडवोकेट ने पेश किया। दावा सरिस्ते से रिपोर्ट होकर पेश हुआ। दर्ज रजिस्टर किया जावे। सम्मन जारी किया जावे। पत्रावली दिनांक 15.07.2021 को पेश हों।</p> <p style="text-align: right;">   <b>उपखण्ड अधिकारी</b>                      कोलायत जिला-बीकानेर                 </p>	
15.7.2021	<p>आज बनुलाब न अदालत कार्य स्थगित कर रखा है।                      मिसल वास्ते.....                      दिनांक 24.8.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>उपखण्ड अधिकारी</b>                      कोलायत                 </p>	
24.08.21	<p>आज कुताब न अदालत कार्य स्थगित कर रखा है।                      मिसल वास्ते.....                      दिनांक 28.10.2021 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>उपखण्ड अधिकारी</b>                      कोलायत                 </p>	
28/10/2021	<p>पत्रावली पेश हुई। पत्रावली आमन्दा दिनांक 22/11/2021 मे पञ्चासन गाँवी के संग आमन्दा - 2021 केस ग्राम पंचायत चक्र बंधाने - 1 मे पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>उपखण्ड अधिकारी</b>                      कोलायत जिला-बीकानेर                 </p>	
22/11/2021	<p>पत्रावली आज दिनांक 22/11/2021 को पञ्चासन गाँवी के संग आमन्दा - 2021 केस चक्र बंधाने - 1 ग्राम पंचायत मे पेश हुई। पत्रावली अनुपस्थित। केस के दौरान दोनों पक्षकारों के मध्य समझौता नहीं बन पाने के कारण पत्रावली आमन्दा दिनांक 06.01.2022 को पेश हो।</p> <p style="text-align: right;">   <b>उपखण्ड अधिकारी</b>                      कोलायत                 </p>	

14/12/2021

पत्रावली पेशी में वादी के उपास्थित होकर  
जर्मि एडवोकेट श्री हंसराज डेवू के मार्फत  
प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने पर पेशी में निर्णय  
प्रार्थी की हौर से इस भाशय का प्रार्थना  
पत्र प्रस्तुत किया गया है कि वह इस वाद में  
वादी है एवं उक्त वाद को लागे नहीं चलाना  
चाहता है। इस वाद को जर्मि विद्वां निरस्त  
करवाना चाहता है।

है कि वादी वाद को लागे नहीं चलाना  
चाहता है। अतः वाद उसकी सहमति के  
आधार पर विद्वां खारिज किया जाता है।

पत्रावली फेमल शुमार होकर दस्तब जाबता  
वाद तरतीब तर्कमील दाखिल कफ्तार हो।  
निर्णय आज दिनांक 14/12/2021 को सुनाया  
गया।

उपखण्ड अधिकारी  
कोलायत जिला-बीकानेर